



सां: 5-1(68)/2008-PD

दिनांक: 22.11.2019

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में : सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय : सीएसआईआर के दिनांक 18.04.2019 के पत्र सं. 5-1(68)/2009-पीडी के द्वारा सीएसआईआर में पृष्ठांकित/अंगीकृत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग की दिनांक 31.01.2019 की अधिसूचना को वापस लेने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

आपका ध्यान सीएसआईआर के दिनांक 18.04.2019 के पत्र सं. 5-1(68)/2009-PD की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के कार्यान्वयन को युक्तिसंगत बनाने के भारत सरकार के निर्णय के संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ की दिनांक 31.01.2019 की अधिसूचना को सीएसआईआर में पृष्ठांकित/अंगीकृत किया गया था। इस संबंध में, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने सूचित किया है कि व्यय विभाग वर्तमान में स्वायत्त निकायों के मामले में नियोक्ताओं के अंशदान के 14% के प्रावधान की प्रयोज्यता से संबंधित इस मुद्दे पर विचार कर रहा है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीएसआईआर के दिनांक 18.04.2019 के पत्र सं. 5-1(68)/2009-PD को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।

कृपया इसे सभी संबंधितों की सूचना, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए ध्यान में लाएं।

भवदीय,

(बी. के. सिंह)

उप सचिव (नीति प्रभाग)

संलग्न: यथोपरि

प्रतिलिपि:

- 1) प्रमुख, आईटी डिवीजन – इस अनुरोध के सहित कि कृपया उक्त परिपत्र को वेबसाइट और नीति रिपोजिटरी में उपलब्ध कराएं।
- 2) कार्यालय प्रति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



No.: 5-1(68)/2008-PD

Dated: 22.11.2019

From : Joint Secretary (Admn.)

To : The Directors/Heads of all National Labs./Instts./Units of CSIR

Sub. : Withdrawl of Govt. of India, MoF, Dept. of Financial Services Notification dated 31.01.2019 endorsed / adopted in CSIR vide CSIR letter No 5-1(68)/2009-PD dated 18.04.2019 –reg.

Sir / Madam,

Kind attention is invited to CSIR letter No. 5-1(68)/2009-PD dated 18.04.2019 wherein Govt. of India, MoF, Dept. of Financial Services Notification dated 31.01.2019 regarding Government of India decision on streamlining the implementation of National Pension Scheme was adopted/endorsed in CSIR. In this regard, Department of Expenditure, MoF has informed that DoE is at present considering the issue regarding the applicability of the provision of 14% of employers' contribution in case of Autonomous Bodies.

In view of above, I am directed to state that CSIR letter No. 5-1(68)/2009-PD dated 18.04.2019 stands withdrawn with immediate effect.

This may be brought to the notice of all concerned for information, guidance and compliance.

Yours faithfully,

(B. K. Singh)
Deputy Secretary (PD)

Encl. : As above

Copy to:

- 1) Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- 2) Office copy



सां०: 5-1(68)/2009-पी.डी.

दिनांक: 18.04.2019

प्रेषक :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
महोदय/ महोदया,

मुझे वित्तिय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित
अधिसूचना को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

क्रम सं.	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तिय सेवाएं विभाग अधिसूचना सं. एवं दिनांक	विषय
1.	सं. 1/3/2016-पीआर दिनांक 31.01.2019.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को युक्तिसंगत बनाने हेतु भारत सरकार का निर्णय के संदर्भ में।

भवदीय

(बी.के.सिंह)

उप सचिव (नीति प्रभाग)

प्रतिलिपि:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ
- कार्यालय प्रति

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



No. 5-1(68)/2009-PD

Dated: 18.04.2019

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

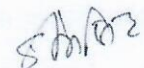
The Directors / Heads of all
National Labs. / Instts. of CSIR
Hqrs./Complex/Centres/Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

I am directed to forward herewith the following Notification issued by the Government of India, Ministry of Finance, Dept. of Financial Services for information, guidance and compliance:-

S.No	Govt. of India, MoF, Dept. of Financial Services Notification No. & date.	Subject
1.	1/3/2016-PR dated 31.01.2019	Government of India decision on streamling the implementation of National Pension Scheme (NPS)-reg..

भवदीय/ Yours faithfully,


(B.K. Singh)
Deputy Secretary

प्रतिलिपि/Copy to:

1. Head, IT Division with the request to make this circular available on the website & Policy Repository.
2. कार्यालय प्रति/Office copy

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

No. 41]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी 2019

फा. सं. 1/3/2016-पीआर.—केन्द्र सरकार वित्त मंत्रालय की 22 दिसंबर, 2003 की राजपत्र अधिसूचना सं. 5/7/2003 ईटीडी-पीआर के पैरा 1(i) में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को सुकिसंगत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति की सिफारिशों पर सरकार के 06 दिसम्बर, 2018 के निर्णय के आधार पर उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करनी है, नामतः,—

(1) उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1(i) में, "कर्मचारियों द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 10% होगा और केन्द्र सरकार द्वारा उसके बराबर राशि जमा की जाएगी", को इन शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, "कर्मचारियों का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) का 10% होगा और केन्द्र सरकार का मासिक अंशदान उनके वेतन और महंगाई भत्ते का 14% होगा"।

(2) निम्नलिखित प्रावधान उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 1(v) के बाद प्रख्यापित किए जाएंगे, नामतः—

एनपीएस के टियर-1 में पेंशन निधि और रिजर्व पैटर्न का विकल्प निम्नानुसार होगा:

(vi) पेंशन निधि का विकल्प: निजी क्षेत्र में अगिदाताओं के मामले के मद्दय, सरकारी अभिदाताओं को भी निजी क्षेत्र पेंशन निधि गठित किसी भी पेंशन निधि का समान करने की अनुमति दी जाए। वे वर्ष में एक बार अपने विकल्प को बदल सकते हैं। तथापि, सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा और नये सरकारी अंशदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध रहेगी।

(vii) निवेश पद्धति का विकल्प: सरकारी कर्मचारियों को निवेश के निम्नलिखित विकल्प दिए जाएंगे, नामतः:-

- (क) सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा योजना मौजूदा और नये सरकारी अंशदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत, पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के तीन निधि प्रबंधकों के बीच उनके पूर्व के कार्यनिष्पादन के आधार पर निवेश आदित की जाती है।
- (ख) जैसे सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम राशि के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों (योजना बी) में 100% निवेश करने का विकल्प दिया जाए।
- (ग) जो सरकारी कर्मचारी उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प दिया जाए:-
- (क) परंपरागत जीवन चक्र निधि, जिसमें इंडिटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% निर्धारित हो- (एनसी - 25)
- (ख) सामान्य जीवन चक्र निधि, जिसमें इंडिटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित हो- (एनसी-50)

(viii) पुराने कॉर्पस के विकल्पों को लागू करना: सरकारी क्षेत्र के अधिदाताओं के संबंध में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले भारी-भरकम पुराने कॉर्पस को मौजूदा पेंशन निधि प्रबंधकों से अंतरित करने का प्रभाव ब्रह्मचर भी पड़ने की संभावना है। सरकारी अधिदाताओं को राशियों के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति को एक भारी बटनने की अनुमति देने में पीएफआरडीए को व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः इस समय पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति केवल यही हुई निधि के संबंध में ही दी जाए।

(ix) पुराने कॉर्पस को एक समुचित समयावधि में अंतरित करना: सरकारी क्षेत्र के अधिदाताओं के लिए विकल्पों के अनुसार पीएफआरडीए के द्वारा संबंधित कॉर्पस को समुचित समयावधि अर्थात् पांच वर्ष में अंतरित करने की एक योजना तैयार की जा सकती है। पीएफआरडीए द्वारा योजना तैयार किए जाने पर उक्त योजना के अनुसार संबंधित कॉर्पस के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

वर्ष 2004-2012 के दौरान अंशदानों को जमा न करने अथवा देरी से जमा करने हेतु क्षतिपूर्ति:

(x) उन सभी मामलों में जिनमें सरकारी कर्मचारी के वेतन में से कटौती तो कर ली गयी थी लेकिन राशि को सीआरए सिस्टम में विधेयित नहीं किया गया था अथवा देरी से विधेयित किया गया था, राशि को उस निधि से जब कटौतियाँ की गयी थीं से लेकर कर्मचारी के एनपीएल खाते में जमा होने तक की राशि वृद्धि की अवधि के लिए जीपीएल पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करते हुए व्यय के साथ कर्मचारी के एनपीएल खाते में जमा किया जाए।

(xi) उन सभी मामलों जिनमें वर्ष 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि हेतु सरकारी कर्मचारी के वेतन से एनपीएल अंशदानों की कटौती नहीं की गयी थी में कर्मचारी को अंशदान अथवा जमा करने का विकल्प दिया जाए। यदि वह अब अंशदान जमा करने का विकल्प चुनता है तो राशि को एनपीएल रूप में अथवा मासिक किश्तों में जमा कराया जा सकता है। किश्त की राशि की कटौती कर्मचारी के वेतन से करके उसे एनपीएल खाते में जमा कराया जा सकता है। उपरोक्त राशि कर्मचारी के अनिवार्य अंशदानों की भांति आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर रिवायतों हेतु प्रहंक होगी।

(xii) उन सभी मामलों जिनमें सरकारी अंशदान सीआरए सिस्टम में विधेयित नहीं हुए थे अथवा देरी से विधेयित हुए थे (भले ही कर्मचारी अंशदानों की कटौती हुई थी अथवा नहीं), वे राशि को उस निधि जहाँ से सरकारी अंशदान देय थे, से लेकर उस निधि तक जब राशि कर्मचारी के एनपीएल खाते में वास्तविक रूप में जमा हुई थी, के बीच की अवधि के लिए जीपीएल पर समय-समय पर यथा लागू दरों पर व्यय के साथ सरकारी अंशदान अथवा जमा किया जाए। वय विभाग/लेखाविभाग द्वारा इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाए। देरी के ऐसे सभी मामलों का तीन माह की अवधि में समाधान किया जाए।

2. उपर्युक्त प्रावधान 1 अर्थात्, 2019 से प्रभावी होंगे।

सचिव, वित्त विभाग

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 5/7/2003-पीआर के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2019

F. No. 1/3/2016-PR.—In partial modification of para 1(i) of Ministry of Finance's Gazette Notification No. 5/7/2003-ECB-PR dated 22nd December, 2003, based on the Government's decision on 6th December, 2018 on the recommendations of a Committee set up to suggest measures for streamlining the implementation of National Pension System (NPS), the Central Government makes the following amendments in the said notification, namely:—

(1) In para 1(i) of the said notification, for the words "The monthly contribution would be 10 percent of the salary and DA to be paid by the employee and matched by the Central Government", the words "The monthly contribution would be 10 percent of the Basic Pay plus Dearness Allowance (DA) to be paid by the employee and 14 percent of the Basic Pay plus DA by the Central Government" shall be substituted.

(2) The following provisions shall be inserted after para 1(v) of the said notification, namely:—

CHOICE OF PENSION FUND AND INVESTMENT PATTERN IN TIER-I OF NPS AS UNDER:

(vi) **Choice of Pension Fund:** As in the case of subscribers in the private sector, the Government subscribers may also be allowed to choose any one of the pension funds including Private sector pension funds. They could change their option once in a year. However, the current provision of combination of the Public-Sector Pension Funds will be available as the default option for both existing as well as new Government subscribers.

(vii) **Choice of Investment pattern:** The following options for investment choices may be offered to Government employees:—

(a) The existing scheme in which funds are allocated by the PFRDA among the three Public Sector Undertaking fund managers based on their past performance in accordance with the guidelines of PFRDA for Government employees may continue as default scheme for both existing and new subscribers.

(b) Government employees who prefer a fixed return with minimum amount of risk may be given an option to invest 100% of the funds in Government securities (Scheme G).

(c) Government employees who prefer higher returns may be given the options of the following two Life Cycle based schemes.

(A) Conservative Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 25% - LC-25.

(B) Moderate Life Cycle Fund with maximum exposure to equity capped at 50% - LC-50.

(viii) **Implementation of choices to the legacy corpus:** Transfer of a huge legacy corpus of more than Rs. 1 lakh crore in respect of the Government sector subscribers from the existing Pension Fund Managers is likely to impact the market. It may be practically difficult for the PFRDA to allow Government subscribers to change the Pension Funds or investment pattern in respect of the accumulated corpus, in one go. Therefore, for the present, change in the Pension Funds or investment pattern may be allowed in respect of incremental flows only.

(ix) **Transfer of legacy corpus in a reasonable time frame:** PFRDA may draw up a scheme for transfer of accumulated corpus as per new choices of Government subscribers in a reasonable time frame of say five years. Once PFRDA draws up this scheme, change in the Pension Funds or investment pattern may be allowed in respect of the accumulated corpus in accordance with that scheme.

COMPENSATION FOR NON-DEPOSIT OR DELAYED DEPOSIT OF CONTRIBUTIONS DURING 2004-2012:

(x) In all cases where the NPS contributions were deducted from the salary of the Government employee but the amount was not remitted to CRA system or was remitted late, the amount may be credited to the NPS account of the employee along with interest for the period from the date on which the deductions were made till the date the amount was credited to the NPS account of the employee, as per the rates applicable to GPF from time to time, compounded annually.

(xi) In all cases where the NPS contributions were not deducted from the salary of the Government employee for any period during 2004-2012, the employee may be given an option to deposit the amount of employee contribution now. In case he opts to deposit the contributions now, the amount may be deposited in one lump sum or in monthly installments. The amount of installment may be deducted from the salary of the Government employee and deposited in his NPS account. The same may qualify for tax concessions under the Income Tax Act as applicable to the mandatory contributions of the employee.

(xii) In all cases where the Government contributions were not remitted to CRA system or were remitted late irrespective whether the employee contributions were deducted or not, the amount of Government contributions may be credited to the NPS account of the employee along with interest for the period from the date on which the Government contributions were due till the date the amount is actually credited to the NPS account of the employee, as per the rates applicable to GPF from time to time. Instructions to this effect may be issued by the Department of Expenditure/ Controller General of Accounts. All such cases of delay may be resolved within a period of three months.

2. The above provisions shall come into force with effect from 1st April, 2019.

MADNESH KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The main notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-I, Section 1, *vide* notification No. 5/7/2003-PR dated the 22nd December, 2003.

ALOK
KUMAR

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 2019.01.31
23:09:12 +05'30'